

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय वास्तविक व्यय है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2014-15 के दौरान 31 अनुदानों/ विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2014-15 के दौरान मूल/ अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च को समर्पित धनराशि	31 मार्च तक समर्पित धनराशि की प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	2,06,69.12	33,12.22	2,39,81.34	1,87,16.18	(-) 52,65.16	35.90	35.90	100
	II पूँजीगत	45,89.87	23,39.67	69,29.54	67,57.20	(-) 1,72.34	1.39	1.39	100
	III ऋण एवं अग्रिम	2,12.59	1,34.90	3,47.49	1,50.98	(-) 1,96.51	0.00	0.00	0.00
योग-दत्तमत		2,54,71.58	57,86.79	3,12,58.37	2,56,24.36	(-)56,34.01	37.29	37.29	100
भारित	IV राजस्व	31,22.90	3.56	31,26.46	24,52.89	(-)6,73.57	0.00	0.00	0.00
	V पूँजीगत	1.50	00	1.50	1.00	(-) 0.50	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	17,57.79	00	17,57.79	10,74.05	(-)6,83.74	0.00	0.00	0.00
योग-प्रभारित		48,82.19	3.56	48,85.75	35,27.94	(-)13,57.81	0.00	0.00	0.00
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		-	1,50.00	1,50.00	1,50.00	-	0.00	0.00	0.00
कुल योग		3,03,53.77	59,40.35	3,62,94.12	2,93,02.30	(-)69,91.82	37.29	37.29	100

स्रोत : विनियोग लेखे।

जैसा कि तालिका 2.1 में प्रदर्शित है, ₹ 69,91.82 करोड़ की बचत हुई थी, राजस्व खण्ड (37 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (25 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 89,14.64 करोड़ की बचत जो पूँजीगत खण्ड (दत्तमत) के अन्तर्गत चार अनुदानों एवं एक विनियोग राजस्व (प्रभारित) खण्ड में ₹ 19,22.82 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई, के परिणामस्वरूप थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान, जिन विभागों एवं अनुभागों में महत्वपूर्ण बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) जानकारी में आयी उनका विवरण तालिका 2.2 के अनुसार है-

तालिका 2.2: 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण बचतों का विवरण (₹ 1,00 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	अनुभाग	धनराशि	कुल धनराशि
1.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	10,37.70	10,37.70
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएं	राजस्व-दत्तमत	4,80.28	18,21.46
		राजस्व-भारित	6,57.44	
		पूँजीगत- भारित	6,83.74	
3.	10-पुलिस एवं कारागार	राजस्व-दत्तमत	1,00.55	1,00.55
4.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व-दत्तमत	7,41.48	9,31.36
		पूँजीगत-दत्तमत	1,89.88	
5.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व-दत्तमत	3,97.34	3,97.34
6.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	राजस्व-दत्तमत	1,75.86	6,53.71
		पूँजीगत-दत्तमत	4,77.85	
7.	15-कल्याण	राजस्व-दत्तमत	3,42.56	3,42.56
8.	19-ग्रामीण विकास	राजस्व-दत्तमत	6,51.46	8,71.09
		पूँजीगत-दत्तमत	2,19.63	
9.	20-सिंचाई व बाढ़	पूँजीगत-दत्तमत	2,47.86	2,47.86
10.	21-ऊर्जा	पूँजीगत-दत्तमत	3,61.66	3,61.66
11.	22-लोक निर्माण	राजस्व-दत्तमत	2,05.45	2,05.45
12.	25-खाद्य	राजस्व-दत्तमत	2,24.72	2,24.72
13.	26-पर्यटन	पूँजीगत-दत्तमत	1,79.96	1,79.96
14.	27-वन	राजस्व-दत्तमत	1,19.93	1,19.93
15.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व-दत्तमत	2,69.50	5,69.18
		पूँजीगत-दत्तमत	2,99.68	
			योग	80,64.53

स्रोत : विनियोग लेखे।

इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 के दौरान जिन विभागों में आवंटन पर महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया उनमें खाद्य (₹ 17,38.25 करोड़), लोक निर्माण (₹ 1,59.79 करोड़), एवं कृषि कर्म एवं शोध (₹ 19.76 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (जुलाई 2015)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितंबर 2015)।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्ययाधिक्य

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के तेरहवें अध्याय के प्रस्तर 121 के अनुसार, अनाधिकृत आधिक्य व्यय करना सबसे आपत्तिजनक है और उससे बचा जाना चाहिए। चार प्रकरणों में, ₹ 34,02.19 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 19,22.80 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है। इनमें से **अनुदान संख्या 25-खाद्य (तालिका 2.3)** में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2010-15 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूँजीगत-दत्तमत						
1	25-खाद्य	12,07.14	12,83.25	18,10.59	17,75.56	17,38.25

स्रोत: विनियोग लेखे।

निरन्तर व्ययाधिक्य यह दिखाता है कि विभाग में बजट नियंत्रण अप्रभावी था और बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए।

2.3.2 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना/ सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि, बिना मूल आकलन/ अनुपूरक माँग में कोई प्रावधान एवं बिना इसके पुनर्विनियोजन आदेश के प्रभाव के एक प्रकरण में ₹ 5 करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा **तालिका 2.4** में वर्णित है।

तालिका 2.4: वर्ष 2014-15 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि
1.	29-उद्यान विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	5.00

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2014-15 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय का कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2015)।

2.3.3 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय तेरह का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि यदि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारित विनियोग में कुल अन्तिम विनियोग से अधिक व्यय किया गया है, आधिक्य व्यय सविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार मांगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। तथापि ₹ 1,10,66.40 करोड़ का अधिक व्यय पिछले वर्षों 2005-14 से सम्बन्धित व्यय राज्य विधायिका से अब तक नियमित किया जाना शेष है। वर्षवार नियमितीकरण हेतु आधिक्य धनराशि तालिका 2.5 में सारांशित है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे		
2005-06	7	7,8,17,20,22,25&29	6,63.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25 & 29	9,35.92	
2007-08	6	7,17,20,22,25 & 29	7,33.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25&29	11,46.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25&29	10,07.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 & 29	12,95.40	
2011-12	5	7,17,22,25& 29	16,11.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 & 29	18,35.34	
2013-14	3	22,25 & 29	18,37.15	
योग			1,10,66.40	

स्रोत:- विनियोग लेखे।

2.3.4 वर्ष 2014-15 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका 2.6 में वर्ष 2014-15 के दौरान चार अनुदानों तथा एक विनियोजन में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्रधिकृत से अधिक व्यय ₹ 19,22.80 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका 2.6: 2014-15 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-भारित					
1.	01	विधान मण्डल	1.18	1.20	0.02
पूँजीगत - दत्तमत					
1.	17	कृषि कर्म एवं शोध	1,39.33	1,59.09	19.76
2.	22	लोक निर्माण	13,33.60	14,93.39	1,59.79
3.	25	खादय	6.46	17,44.71	17,38.25
4.	29	उद्यान विकास	00	5.00	5.00
योग			14,79.39	34,02.19	19,22.82

स्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को सितंबर 2015 तक सूचित नहीं किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कर लेना चाहिए।

2.3.5 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

₹ 7,89.36 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान तीन प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 19,17.80 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट 2.2)।

2.3.6 व्यय की तीव्रता

उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 17 का प्रस्तर 183 यह प्रकट करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबंधन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट 2.3** में सूचीबद्ध 28 मुख्य शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 5 करोड़ से अधिक या एक वर्ष में किये जाने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में या मार्च 2015 में किया गया था।

समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान इन मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 48,77.35 करोड़ का 66.11 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।

2.3.7 अधिक प्रावधानों के कारण बचतें

2.3.7.1 अनावश्यक/अधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 30 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 23,19.05 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित किया गया है।

2.3.7.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक/ अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप पांच अनुदानों के अन्तर्गत सात प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में वर्णित है।

बचत के कारण सरकार द्वारा सितंबर 2015 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

2.3.7.3 पर्याप्त अभ्यर्पण

चार अनुदानों में, 11 उपशीर्षों के सापेक्ष केन्द्रांश का न प्राप्त होना, निधि की वास्तविक आवश्यकता, स्थापना व्यय में बचत और निधि की गैर आवश्यकता में बचतों के कारण विभिन्न मदों में पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 11 उपशीर्षों में ₹ 45.01 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 28.49 करोड़ (63.31 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें पाँच योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 7.03 करोड़) सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में विस्तारित है।

2.3.7.4 अनुमानित बचतें जो अभ्यर्पित नहीं हुई

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 13 के खण्ड 1 का प्रस्तर 124 यह प्रकट करता है कि प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग- 2) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत के अन्तिम विवरण तैयार करने चाहिए जो कि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 25 जनवरी तक वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2014-15 के अंत में, 21 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ पांच करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 72,18.87 करोड़ (कुल बचत¹ का 80.98 प्रतिशत) परिशिष्ट 2.7 में दी गयी है।

इसी प्रकार, ₹ 89,12.39 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 37.29 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणाम स्वरूप ₹ 88,75.10 करोड़ (कुल बचत का 99.58 प्रतिशत), अभ्यर्पण नहीं हुआ, इसे परिशिष्ट 2.8 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त एक प्रकरण में (₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 26.27 करोड़ मार्च 2015 के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित किया गया (परिशिष्ट 2.9)। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.7.5 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि 55 प्रकरणों में बचत, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं 33 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट 2.10)। ₹ 89,14.64 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध 18 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 26 प्रकरणों में ₹ 84,47.09 करोड़, (94.76 प्रतिशत)² की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.7 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.7: ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)					
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व - दत्तमत					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	20,66.38	10,37.70	50.22
2.	07	वित्त, कर, नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	46,26.07	4,80.27	10.38
3.	10	पुलिस एवं कारागार	11,97.40	1,00.55	8.40
4.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	52,89.85	7,41.48	14.02
5.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,96.65	3,97.34	24.89
6.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	9,50.39	1,75.86	18.50
7.	15	कल्याण	14,09.96	3,42.56	24.30
8.	16	श्रम एवं रोजगार	2,09.59	58.20	27.77
9.	17	कृषि कार्य एवं शोध	5,58.48	91.09	16.31

¹ कुल बचतें ₹ 89,14.64 करोड़ ।

² प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक ।

10.	19	ग्रामीण विकास	12,72.86	6,51.46	51.18
11.	20	सिंचाई एवं बाढ़	4,25.39	63.41	14.91
12.	22	लोक निर्माण	7,84.55	2,05.45	26.19
13.	25	खाद्य	4,28.45	2,24.72	52.45
14.	27	वन	5,95.57	1,19.93	20.14
15.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	11,25.38	2,69.50	23.95
16.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2,94.24	95.59	32.49
योग			2,28,31.21	50,55.11	22.14
राजस्व-भारित					
1.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	30,65.08	6,57.44	21.45
योग			30,65.08	6,57.44	21.45
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	5,96.90	1,89.88	31.81
2.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	7,13.50	4,77.85	66.97
3.	15	कल्याण	1,57.04	74.29	47.31
4.	19	ग्रामीण विकास	8,23.45	2,19.63	26.67
5.	20	सिंचाई एवं बाढ़	10,23.92	2,47.86	24.21
6.	21	ऊर्जा	4,92.71	3,61.66	73.40
7.	26	पर्यटन	2,68.26	1,79.95	67.08
8.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,67.29	2,99.68	52.83
योग			46,43.07	20,50.81	44.17
पूँजीगत-भारित					
1.	07	वित्त, कर, नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	17,57.79	6,83.74	38.90
योग			17,57.79	6,83.74	38.90
महायोग			3,22,97.15	84,47.10	26.15

स्रोत : विनियोग लेखे।

बचत के कारण जो कि अपेक्षित थे, सितंबर 2015 तक प्राप्त नहीं हुए।

2.3.7.6 निरन्तर बचत

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 39 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई (तालिका 2.8)।

तालिका 2.8: पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची (2011-2015)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत धनराशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व-दत्तमत						
1.	04- न्यायिक प्रशासन	29.91	28.05	50.90	36.52	35.73
2.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	29.52	43.94	64.40	14,66.73	10,37.70
3.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1,06.35	5,80.10	5,49.18	1,16.17	480.27
4.	08- आबकारी	1.25	2.23	1.02	2.02	1.44
5.	10- पुलिस एवं कारागार	9.25	50.52	32.17	23.71	100.55
6.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	1,76.02	2,83.38	5,67.60	6,35.48	7,41.48
7.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,24.39	1,53.99	1,33.41	1,16.11	3,97.34
8.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	3,72.80	2,35.77	1,53.22	3,08.25	1,75.86
9.	14- सूचना	3.30	2.11	1.84	1.16	1.01
10.	15- कल्याण	83.72	1,97.45	1,91.96	1,78.11	3,42.56
11.	16- श्रम एवं रोजगार	12.08	12.39	36.45	28.70	58.20
12.	17- कृषि कार्य एवं शोध	82.71	44.73	1,31.83	1,86.93	91.09
13.	18- सहकारिता	4.87	10.30	6.03	8.53	7.93
14.	19- ग्रामीण विकास	75.22	92.71	1,33.00	1,79.22	6,51.46
15.	22- लोक निर्माण	34.94	35.43	56.85	95.65	2,05.45
16.	23- उद्योग	5.15	14.47	11.32	20.89	14.02
17.	24- परिवहन	2.52	1.37	5.90	3.22	5.27
18.	25- खाद्य	7.27	123.52	230.84	226.55	224.72
19.	26- पर्यटन	2.92	30.66	30.05	13.43	42.46
20.	27- वन	30.76	19.80	27.10	31.00	1,19.93
21.	28- पशुपालन	15.53	4.48	9.04	24.93	33.92
22.	29- उद्यान विकास	1.61	14.94	7.19	40.87	41.31
23.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	96.20	1,93.63	1,14.39	2,10.01	2,69.50
24.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	44.21	45.35	36.68	58.99	95.59
राजस्व-प्रभारित						
1.	04- न्यायिक प्रशासन	13.49	13.87	5.87	5.52	7.59
2.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	140.75	217.95	41.44	646.03	657.44
3.	22- लोक निर्माण	2.91	1.40	1.02	1.75	4.71

पूँजीगत-दत्तमत						
1.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	43.93	24.60	9.12	13.78	4.85
2.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	8.78	72.43	20.60	40.81	23.09
3.	10- पुलिस एवं कारागार	4.12	44.60	43.76	46.89	7.55
4.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	60.20	1,66.31	1,22.03	1,84.55	1,89.88
5.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62.52	39.01	2,30.97	1,88.14	24.27
6.	15- कल्याण	13.74	22.03	3.54	6.75	74.29
7.	19- ग्रामीण विकास	13.20	66.05	1,32.55	62.82	2,19.63
8.	23- उद्योग	11.54	13.35	23.69	28.21	25.81
9.	24- परिवहन	8.12	12.55	43.95	95.18	30.00
10.	26- पर्यटन	29.84	19.20	55.32	47.68	1,79.95
11.	27- वन	1.53	8.64	16.32	18.82	8.37
12.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	43.65	54.70	54.28	81.60	42.37

स्रोत: विनियोग लेखे।

सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में हुई बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितंबर 2015)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.8 बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, निधियों का आहरण तुरन्त व्यय हेतु केवल आवश्यकता में ही हो सकता है और निवेश अथवा अन्यत्र जमा के लिए सरकारी खाते से निधियों का आहरण वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए, निधियों का आहरण करके लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध हैं।

कार्यालय महालेखाकार (ले एवं ह), उत्तराखण्ड से संकलित सूचना में यह पाया गया कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा माह मार्च 2015 में ₹ 8,99.57 करोड़ आहरण करके बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए 'जमा शीर्ष'³ में जमा किया गया।

मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के लेखाओं की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के अंत में जमा खातों की संख्या एवं धनराशि में कमी हुई है। इन खातों में, दो 2010-11 से असंचालित थे जिनमें धनराशि ₹ 0.54 करोड़ अवरूद्ध थी। जमा खातों की 2012-15 की स्थिति तालिका 2.9 में दिखायी गयी है।

³ 8338 - स्थानीय निधि में जमा; 8443 - सिविल डिपोजिट एवं 8448 - स्थानीय निधि में जमा।

तालिका 2.9: जमा लेखों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जमा शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15	
	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि
8229-विकास एवं कल्याण निधि	4	36.19	2	0.02	1	0.02
8338-स्थानीय निधि जमा	5	52.10	6	68.37	6	76.39
8443-सिविल जमा	7	8.82	23	178.07	11	1,06.30
8448-स्थानीय निधि जमा	31	156.02	24	39.22	20	61.55
समग्र अवरोद्ध निधि/स्थानान्तरण	47	2,53.13	55	2,85.68	38	2,44.26

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी देहरादून के अभिलेख।

इन लेखों की समीक्षा के दौरान देखा गया कि ₹ 62.00 करोड़, ₹ 79.87 करोड़ एवं ₹ 2.00 करोड़ क्रमशः 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अन्त में, 26 से 31 मार्च के बीच, बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में जमा किये गये हैं (परिशिष्ट 2.11)।

जिलाधिकारी (जि.अ.) देहरादून के वैयक्तिक खाता लेखा (पी.एल.ए.) की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि बजट का व्यपगत होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्त में विभिन्न लेखाशीर्षों से ₹ 60.25 करोड़ की धनराशि नकदी जमा के माध्यम से हस्तान्तरित हुई जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्त में जिलाधिकारी, देहरादून के पी.एल.ए में निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

निधि स्थानान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष)	कहाँ को स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में धनराशि स्थानान्तरित
28 मार्च 2015	2515-00-102-91	8443-00-106-00	0.20
31 मार्च 2015	नगदी जमा (सचिव विधान सभा)	8443-00-106-00	43.03
	नगदी जमा (अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय)	8443-00-106-00	0.99
	4202-02-105-09	8443-00-106-00	2.00
	4202-02-105-10	8443-00-106-00	4.00
	4202-02-105-08	8443-00-106-00	2.00
	4202-02-105-11	8443-00-106-00	2.00
	8000-00-201-00	8443-00-106-00	6.03
	समग्र स्थानान्तरित निधि		60.25

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी देहरादून के अभिलेख।

अतः सरकार ने खर्च न की गई निधियों को समर्पित नहीं किया और इसे उत्तराखंड बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत पी एल ए में स्थानान्तरित किया।

दिनांक 31 मार्च 2015 को सचिवालय प्रशासन, उत्तराखंड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, साइबर कोषागार, देहरादून को आदेशित किया गया कि ₹ 19,95,695.00 और ₹ 2,38,27,200.00 के बैंक ड्राफ्ट बनाकर जिलाधिकारी, देहरादून के पी.एल.ए. खाते में जमा कर दें। ये बैंक ड्राफ्ट 2 अप्रैल 2015

को सचिवालय प्रशासन को दे दिये गए थे और 10 अप्रैल 2015 को जिलाधिकारी, देहरादून को भेज दिये गए थे। जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा ये बैंक ड्राफ्ट 18 अप्रैल 2015 को पी.एल.ए में जमा कराये गए।

इसलिए, सचिवालय प्रशासन ने वर्ष के अंतिम दिन बैंक को बैंक ड्राफ्ट बनाने हेतु आदेशित किया। पूंजीगत शीर्ष से पी.एल.ए में निधि स्थानान्तरित करने का कारण पूछे जाने पर भी सरकार द्वारा सितंबर 2015 तक सूचित नहीं किए गये।

2.4 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

राज्य में वर्ष 2014-15 के दौरान 86 इकाईयों अर्थात 18 कोषागार तथा 66 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार देहरादून में और एक वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में था। 2014-15 में 52⁴ इकाईयों के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गयी जिसे तालिका 2.11 में समाहित किया गया है।

तालिका 2.11 : कोषागारों की जाँच का परिणाम

क्रम संख्या	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	असमायोजित ए सी बिल	9.26
2.	शासकीय धनराशि का वित्तीय वर्ष 2012-13 से अगले वित्तीय वर्ष हेतु अनियमित रूप से व्यपर्वतन/समायोजन	0.01
3.	मुख्य लेखा शीर्ष 1601 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में अनाधिकृत रूप से पुस्तांकन	43.07
4.	कम्प्यूटर द्वारा जनरटेड रोकड़ बही के आंकड़ों में विसंगतियाँ	0.86
5.	पी. एल. ए. खातों से अनियंत्रित धन की निकासी	54.11
6.	वित्तीय वर्ष 2014-15 में पेंशन धारकों से स्रोत पर आयकर कटौती न करना	25.35
7.	व्यपगत जमा को सरकारी खातों में जमा न किया जाना	20.27
8.	उत्तरांचल जल विद्युत निगम निमिटेड, उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पिटकुल के पेंशन धारकों को भुगतानित पेंशन की प्रतिपूर्ति ना होना	37.28

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषागारों पर की गई वार्षिक समीक्षा 2014-15

उपरोक्त अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए कोषागार स्तर पर कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता है।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान आकस्मिकता निधि कोष को ₹ 150 करोड़ तक बढ़ाया। वर्ष 2014-15 के अंत तक आकस्मिकता निधि कोष में ₹ 750 करोड़ जमा थे। निधि से अग्रिम आहरण उसी वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित

⁴ 20 कोषागार और 32 उपकोषागार।

निधि से प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए। तथापि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 5 (2001 के अधिनियम 2) के अनुसार आवश्यकता के रूप में वर्ष 2014-15 में ₹ 194.15 करोड़ अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2015 (**परिशिष्ट 2.12**) तक विधायी द्वारा अधिकृत होने के पश्चात सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे।

आगे जाँच में पाया गया कि सरकार ने आकस्मिकता निधि से वर्ष 2000 से 2014 के दौरान आहरण किया और ₹ 88,92.74 करोड़ (अगस्त 2015) निधि की प्रतिपूर्ति नहीं हुयी। अनुदानों एवं मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निधि की वर्षवार प्रतिपूर्ति न हुयी निधियों को, **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने पूँजीगत व्यय (₹ 58.38 करोड़) जो प्रत्याशित था को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आश्रय लिया तथा इस प्रकार कोष के संचालन करने वाले नियमों का उल्लंघन हुआ।

2.6(अ) सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च 2015 तक ₹ 9.22 करोड़ के 95 ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12 : सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना (मार्च 2015 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अवशेष डी सी बिल	
	संख्या	राशि
2012-13 तक	42	6.33
2013-14	18	0.52
2014-15	35	2.37
योग	95	9.22

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

₹ 9.22 करोड़ के कुल बकाये डी सी बिल में, ₹ 4.44 करोड़ के छह बड़े बकाया डी सी बिल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2014-15 तक कार्यालय/विभागवार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के डी सी बिलों के विलम्बन को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

सार आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत न किये जाने से दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2.6 (ब) असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूकें, वर्ष 2014-15 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि आठ नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 7,450 करोड़ शामिल हैं, वर्ष 2014-15 के दौरान असमाधानित रहे जो कुल शुद्ध व्यय ₹ 2,93,02.30 करोड़ का 25.42 प्रतिशत थे, जैसा तालिका 2.13 में वर्णित है:

तालिका 2.13: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2014-15 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1.	आयुक्त, राहत, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन	431.00
2.	प्रमुख सचिव, वित्त/ सम्पदा विभाग उत्तराखण्ड शासन	39,48.00
3.	सचिव, लोक सेवा आयोग, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार	12.00
4.	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	5,30.00
5.	निदेशक, समाज कल्याण, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल	16,88.00
6.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून	6,35.00
7.	सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	177.00
8.	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	29.00
	योग	74,50.00

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित आँकड़े।

उपर्युक्त विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (ले एवं ह) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन का कार्य करने में नाकाम रहने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हालांकि अब तक (सितंबर 2015) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु सरकार को चाहिए कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाशोधन को सुनिश्चित करें।

2.7 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियाँ निम्नानुसार थीं।

- i. बजट साहित्य खंड-4 राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियों के व्योरेवार अनुमान में क्षेत्र “क” कर राजस्व में कतिपय मुख्य शीर्षों यथा मुख्य शीर्ष 0029, 0039 के अंतर्गत लघुशीर्ष 900-घटाएँ वसूलियाँ तथा मुख्य शीर्ष 0030 के उप मुख्य शीर्ष 01-स्टांप न्यायिक के अंतर्गत लघुशीर्ष -901 घटाएँ वापसियाँ का अंकन किया गया है, जबकि मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची पुस्तिका (खण्ड - I) में दिये गए सामान्य निर्देश के बिन्दु-2 में निर्देशित है कि क्षेत्र - क कर राजस्व के अधीन आने वाले मुख्य/उपमुख्य शीर्षों के संबंध में समुचित लघु शीर्षों के नीचे अलग उप शीर्ष वसूलियाँ घटाएँ खोला जाना चाहिए।
- ii. बजट साहित्य खंड-5, भाग 1 के अनुसार मुख्यशीर्ष 3454-जनसंख्या सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अंतर्गत अनुदान संख्या -07 में लघुशीर्ष 001-निदेशन एवं प्रशासन को उपमुख्यशीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अंतर्गत दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार इस उपमुख्यशीर्ष को 01-सांख्यिकी होना चाहिए था।
- iii. बजट साहित्य के खंड-5, भाग-2 के अनुदान संख्या-14 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपमुख्यशीर्ष 60-अन्य अंकित है जबकि मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों की सूची में उपमुख्यशीर्ष 60-अन्य भवन होना चाहिए था।
- iv. बजट साहित्य के खंड-5, भाग-3 के अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 80-सामान्य के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102-रखरखाव तथा मरम्मत के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053- रखरखाव तथा मरम्मत होना चाहिए था।
- v. बजट पुस्तिका में मुख्य शीर्ष-2245 के अन्तर्गत केवल एक उपमुख्य शीर्ष 05-राज्य आपदा मोचन निधि को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय प्रावधानित है। जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार प्रावधानित उपमुख्य शीर्ष 01-सूखा तथा 02- बाढ़ व चक्रवात हैं।
- vi. बजट साहित्य के खंड-5, भाग-2 के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत उपमुख्यशीर्ष 02-समाज कल्याण के अंतर्गत लघु शीर्ष 104-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 02 के अंतर्गत लघु शीर्ष 104-‘वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय का कल्याण होना चाहिए था।
- vii. बजट साहित्य के खंड-5, भाग-3 के अनुदान संख्या-17 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 2401-फसल कृषि फर्म के अंतर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य योजनाएँ खोला गया है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार लघुशीर्ष अन्य व्यय होना चाहिए था।
- viii. राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियों में मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जिन योजनाओं हेतु अनुदान दिया जाता है, उन योजनाओं में से कई योजनाओं को उक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित नहीं किया गया है।

- ix. बजट साहित्य के खंड-5, भाग-4 के अनुदान संख्या 30 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 2211-परिवार कल्याण के अंतर्गत लघुशीर्ष 101-"अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान" दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में लघुशीर्ष '101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ' दर्शाया गया है।
- x. मुख्य शीर्ष 2052 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 अन्य व्यय अंकित है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में लघु शीर्ष "091 संलग्न कार्यालय" एवं "092-अन्य कार्यालय" ही प्रावधानित है।

इस प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 में भी उल्लेखित थी। तथापि, सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया।

2.8 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

2014-15 के दौरान ₹ 3,62,94.12 करोड़ के समग्र अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 6,991.82 करोड़ की बचत हुयी। चार अनुदानों में ₹ 19,22.80 करोड़ का आधिक्य था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचतें बजट अनुमान में कमी को इंगित करती हैं। 30 प्रकरणों में ₹ 23,19.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। सात प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था। परिणामस्वरूप या तो यह बचतों में अथवा प्रावधानों पर आधिक्य सिद्ध हुआ। विभागों ने इन निधियों का अन्य विकास उद्देश्यों पर उपयोग की संभावना न छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को ₹ 26.27 करोड़ समर्पित किये।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचतों का निर्धारण और अभ्यर्पण हो जाए ताकि बचतों को प्रभावी तरह से अन्य क्षेत्रों/ योजनाओं में उपयोग में लिया जा सके।

आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 1,10,66.40 करोड़, जो वर्ष 2005-14 से संबन्धित है राज्य विधान मंडल से अभी भी नियमित कराया जाना था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधिक्य व्यय के स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत किये जाये।

राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2015 में अवमुक्त धनराशि ₹ 8,99.57 करोड़ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में जमा किये गये। देहरादून कोषागार में दो जमा लेखे जिनमें ₹ 0.54 करोड़ थे, विगत चार वर्षों से असंचालित थे।

16 प्रकरणों में आकस्मिकता निधि से एक महत्वपूर्ण धनराशि ₹ 1,94.15 करोड़ स्वीकृत की गयी थी एवं सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम, आकस्मिक प्रकार के खर्चों के लिए ही दिये जाएँ और निधि से निकली गयी राशि समय पर प्रतिपूर्ति कि जाए।

नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा फरवरी 2015 तक ₹ 9.22 करोड़ के आहरित आकस्मिकता बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिकता बिलों को प्रस्तुत नहीं किया गया था (मार्च 2015)।

सार आकस्मिक बिल में लिए गए अग्रिम को नियत समय में समायोजित करने के लिए एक कठोर अनुवीक्षण तंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता है।

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियां परिलक्षित हुयीं। आठ नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से मिलान नहीं किया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में अनियमितताएँ देखी गयीं।

राज्य सरकार नियंत्रण अधिकारियों को दिशा निर्देश देने पर विचार कर सकती है कि वे समयबद्ध/अवधि अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से मिलान कराएं।